कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

Email - drda.surajpur-cg@nic.in, drda.surajpur@gmail.com Phone/Fax : 07775-266152

–::आदेश::–

सूरजपुर दिनांक 25/11/2017

क्रमांक/ 7347 /शिक्षा स्था0/जि.पं./2017 :: छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/22/750/2017 नया रायपुर दिनांक 12.10.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधान एवं समय समय पर यथासंशोधित प्रावधानानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थाई रूप से स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में व्याख्याता (पंचायत) **भूगोल** के पद पर वेतनमान 5300–150–8300 पर ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	वर्ग	लिंग	पदस्थ संस्था का नाम	विकास खण्ड
1	तेरेसा मिंज	श्री एलोईस मिंज निवासी इन्द्रानगर फुन्दुरडिहारी अम्बिकापुर	अ.ज.जा.	म.	शा0उ0मा0वि0क0 बिहारपुर	ओड़गी
2	रामधनी सिंह	श्री रूपसाय सिंह निवासी भटगांव रोड लक्ष्मीपुर पो0 बतरा जिला सूरजपुर	अ.ज.जा.	पु.	शा0उ0मा0वि0 बेदमी	ओड़गी

नियम व शर्तें:-

1. चयनित उम्मीदवार यदि बीएड उपाधिधारी नहीं है, तो नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी। यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के भीतर उम्मीद्वार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त नहीं की जाती है, तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
2. व्याख्याता (पंचायत) के लिये चयनित उम्मीद्वार को स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिये परीविक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के कार्य का आकलन किया जायेगा। दो वर्ष की परीविक्षा कालावधि पश्चात् कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो परिवीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि के अंत में कार्य का आकलन किया जायेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।
3. दो वर्ष सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् व्याख्याता (पं.) को कार्य, आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा।
4. व्याख्याता (पं.) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जायेगा।
5. पदोन्नति के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003, के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

6. व्याख्याता (पं.) यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति तथा लघुशास्ति के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
7. कर्मचारी की सेवाएं, या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकरी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी समय समाप्त की जा सकेगी।
8. व्याख्याता (पं.) को ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा शर्तें यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी।
9. इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।
10. भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं विभाग की सेवा संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में शैक्षणिक योग्यता/निवास/जाति प्रमाण पत्र संबंधी कोई विसंगति पाये जाने पर संबंधित की नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराये गये चरित्र सत्यापन में यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकूल आपराधिक टिप्पणी पायी जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
12. चयनित उम्मीदवार को सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर में नियुक्ति आदेश जारी करने के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थिति मय निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र मूल में लेकर उपस्थित होंगे। तदुपरांत कार्यालय द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति पश्चात् ही अपने नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में कार्यग्रहण करेंगे।
13. चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधानित रूप से कार्यग्रहण के समय किये जाने के दौरान अथवा बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश में लाये जाने पर अवैध अथवा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्त व्याख्याता(पं.) की, बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
14. उपरोक्त समायावधि में कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
15. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्त संबंधित उम्मीद्वार को कार्यग्रहण तिथि के एक माह के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. नियुक्ति स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
18. पदस्थापना स्थल परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
19. व्याख्याता (पं.) भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अथवा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की जानकारी पाये जाने पर किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
20. छ0ग0 पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 5 (दो) द्वारा कोई भी पंचायत सेवक अपनी सेवा या अन्य किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के सबंध में ना तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा न ही किसी प्राकर से उसे अभिप्रेत करेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0/7348/शिक्षा स्था0/जि.पं./2017 सूरजपुर दिनांक 25/11/2017

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, राज्य सैनिक पुनर्वास कल्याण केन्द्र रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त संह संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, रोजगार एवं स्व रोजगार मागदर्शन केन्द्र, संभाग बिलासपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक जिला सूरजपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
12. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
13. जिला मिशन समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सूरजपुर को सूचनार्थ।
14. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
15. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर को सूचनार्थ।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. प्राचार्य .... जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)